हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 11 अंक : 9 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 सितम्बर, 2020

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

देश के बिखराव का बीजारोपण है नौकरियों का प्रादेशिक आरक्षण

प्रदेश सरकारों द्वारा संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करते हुये वोटों के लालच में की जा रही विखण्डनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए समता आन्दोलन की राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और सभी सांसदों से अपील

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और सभी सांसदों को पत्र लिखकर प्रदेश सरकारों द्वारा संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करते हुये वोटों के लालच में की जा रही विखण्डनकारी गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया है।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में निवेदन किया है कि दिनांक 19.08.2020 को राजस्थान पत्रिका के प्रमुख पृष्ठ पर छपी पहली खबर से यह ज्ञान हुआ है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश की सरकारी नौकरियों में राज्य के बाहर के नागरिकों का प्रवेश रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इसी प्रकार दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 04.09.2020 को प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित प्रथम खबर से यह प्रकट होता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत भी राजस्थान राज्य की सेवाओं में राजस्थान राज्य से बाहर के नागरिकों का प्रवेश रोकने के प्रावधान जारी करने वाले हैं। राजस्थान पत्रिका में प्रथम पृष्ठ पर छपी दिनांक 05.09.2020 की खबर यह प्रकट करती है कि 14 राज्यों में इस प्रकार के विभेदकारी नियम पहले से ही मौजूद हैं।

युवाओं को प्रदेश तक सिमित रखना उनके साथ विश्वासघात

यदि सभी राज्यों के बेरोजगार सभी राज्यों की सेवाओं के लिए आवेदन के पात्र रहते हैं तो राजस्थान राज्य का युवा कुल सवा करोड़ नौकरियों के लिए आवेदन करने का पात्र होता है। और यदि प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं को सील कर देते हैं तो राजस्थान राज्य का युवा केवल 07 लाख नौकरियों में आवेदन का पात्र होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रतिवर्ष कुल नौकरियों का औसतन 3 प्रतिशत हिस्सा ही सेवानिवृति, मृत्यु आदि कारणों से नई नियुक्तियों के लिए उपलब्ध होता है। प्रकटत: जहां किसी राज्य का बेरोजगार युवा प्रतिवर्ष लगभग 3.75 लाख (1.25 करोड का तीन प्रतिशत) नौकरियों में प्रतिस्पर्धा करने का पात्र होता है वहां उन्हें केवल एक राज्य में (जैसे राजस्थान) केवल 3 प्रतिशत अर्थात केवल 21000 (07 लाख का 3 प्रतिशत) नौकरियों की उपलब्धता में ही सीमित करके उनसे विश्वासघात किया जा रहा है।

आप यह भली भांति जानते हैं कि जन्म स्थान/ निवास स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से सरकारी नौकरियों में प्रवेश के सम्बन्ध में भेदभाव करना अनुच्छेद 14, 16(1)(2) एवं 19 (1) के अधीन प्रदत मूल अधिकारों का सरासर उल्लंघन है। वोटों के लालच में राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा इस प्रकार के अविधिक एवं असंवैधानिक आदेश जारी करना उनके द्वारा ली गई संवैधानिक शपथ का खुला उल्लंघन है, देश के लिए विखण्डनकारी है, एकराष्ट्र एकनागरिक के सिद्धान्त को नुकसान पहुंचाने वाला है, न्यायपालिका की अवमानना है। संवैधानिक पदों पर आसीन मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के स्थान पर गुमराह करने वाला है एवं नौकरियों से वंचित करने वाला है। उदाहरणार्थ यदि सभी राज्यों के बेरोजगार सभी राज्यों की सेवाओं के लिए आवेदन के पात्र रहते हैं तो राजस्थान राज्य का युवा कुल सवा करोड़ नौकरियों के लिए आवेदन करने का पात्र होता है। और यदि प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं को सील कर देते हैं तो राजस्थान राज्य का युवा केवल 07 लाख नौकरियों में आवेदन का पात्र होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रतिवर्ष कुल नौकरियों का औसतन 3 प्रतिशत हिस्सा ही सेवानिवृति, मृत्यु आदि कारणों से नई नियुक्तियों के लिए उपलब्ध होता है। प्रकटत: जहां किसी राज्य का बेरोजगार युवा प्रतिवर्ष लगभग 3.75 लाख (1.25 करोड का तीन प्रतिशत) नौकरियों में प्रतिस्पर्धा करने का पात्र होता है वहां उन्हें केवल एक राज्य में (जैसे राजस्थान) केवल 3 प्रतिशत अर्थात केवल 21000 (07 लाख का 3 प्रतिशत) नौकरियों की उपलब्धता में ही सीमित करके उनसे विश्वासघात किया जा रहा है।

एक राष्ट्र एक नागरिक का सिद्धान्त देश को एक सूत्र में जोड़े रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है, भारत की अखण्डता के लिए अत्यन्त आवश्यक है, सम्पूर्ण भारत में सांस्कृतिक विविधता की एकरूपता से प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है, समरसता और सद्भाव के संस्कार को प्रबल बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सरकारी नौकरियों को अविधिक एवं असंवैधानिक तरीके से राज्य, जिले या तहसील स्तर तक के नागरिकों के लिए संकुचित करना बेहद दुखदायी होने के साथ-साथ देश के बिखराव का बीजारोपण है। आपसे प्रार्थना है कि इस खतरनाक, विधवंसात्मक और देश को विखण्डन करने वाली अविधिक एवं असंवैधानिक प्रवृति पर तत्काल सख्ती से रोक लगाई जावे।

पत्र में आगे लिखा गया कि यदि ऐसी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो हमें मजबूर होकर संबंधित मुख्यमंत्रियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही तथा राज्यपालों के समक्ष अनुच्छेद 192 के अधीन याचिका प्रस्तुत करने को मजबूर होना होगा।

राजस्थान में बिजली दरें कम की जाएं: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उर्जा मंत्री बी डी कल्ला एवं अध्यक्ष विद्युत विनियामक आयोग को पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि राजस्थान राज्य की बिजली दरों को सभी राज्यों से न्यूनतम लाया जावे।

पत्र में राजस्थान पत्रिका दिनांक 10.09.2020 के प्रमुख पृष्ठ पर छपी खबर को भेजते हुये ध्यान आकृष्ट करना चाहा है कि जम्मू-कश्मीर, गोवा, हिमाचल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ जैसे अपेक्षाकृत कमजोर और पिछड़े राज्यों की भी विद्युत की घरेलू और कृषि दरें राजस्थान राज्य में लागू दरों से काफी कम हैं।

अनुभूत तथ्य यह बताते है कि बिजली कम्पनियों द्वारा सस्ती दर पर खरीदी गई बिजली को लगभग तिगुने दर पर बेची जा रही है। स्थायी शुल्क जैसी व्यवस्था उपभोक्ता की जेब पर सीधा आक्रमण है। बिजली कम्पनियाँ नगर निगम जैसे दूसरे निकायों के नाम पर गुमनाम तरीके से अतिरिक्त वसूलियाँ कर रही हैं। विद्युत कम्पनियाँ एक तरफ बिजली की कीमत वसूल रही है और उसी कीमत पर विद्युत शुल्क भी दुबारा वसूल किया जा रहा है। सारांश यह कि बिजली उपभोक्ताओं को उपभोग की गई बिजली के खर्च से कही बहुत ज्यादा दूसरे प्रकार के चार्जेज देने पड़ रहे है। जिसे आसानी से कम किया जा सकता है।

आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुये हमारा निवेदन है कि इन राज्यों की परिस्थितियों और राजस्थान राज्य की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुये विद्युत उत्पादन लागत, विद्युत वितरण लागत, विद्युत छीजत, विद्युत चोरी और विद्युत कम्पनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुये राजस्थान राज्य की विद्युत दरों को भी सभी राज्यों से न्यूनतम स्तर तक लाकर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को राहत पहुंचाने का कष्ट करें।

अध्यक्ष की कलम से

न सुनवाई न निर्णय

साथियों,

स्मृति शेष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बोली गई दो पंक्तियाँ कालजयी हो गई। वे हैं- 'रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा'। जाने अनजाने ये पंक्तियां समता आन्दोलन पर एकदम सटीक बैठती हैं। हमने भी न तो किसी का बुरा किया और न चाहा। फिर भी बारह सालों से संवैधानिक शुचिता को कायम करने में लगे हुए हैं।

लेकिन अब हमारे लिये दूसरी पंक्ति ''हार नहीं मानूंगा'' कसौटी बनकर सामने है। समता आन्दोलन ने न्याय नीति की स्थापना के लिए अदालतों और विशेषकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मंदिर मानकर न्याय की अराधना की है। लेकिन अब लगता है कि मंदिर का गर्भगृह खाली हो गया है। वहाँ विराजित न्याय का देवता कहीं चला गया है। हो सकता है किसी ने चुरा लिया हो? क्योंकि प्राचीन वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ऊंचा मोल मिलता है।

अब न्यायिक अधिनायकत्व का नया दौर शुरू हुआ है। याचक की किसी मैन्शनिंग का कोई मतलब नहीं रह गया है। अदालतों ने कतिपय विषयों को नहीं सुनने का मानो मानस स्पष्ट कर दिया है। अर्थात ''न सुनवाई, न निर्णय'' का अभ्यास साफ दिखाई देने लगा है। कथित सरकारों ने अपनी सारी जिम्मेदारी अदालतों में भेजनी शुरू कर दी हैं। और अदालते ''बीरबल की खिचड़ी'' बन चुकी हैं। इन जटिल हालातों में भी हम संकल्पित हैं- ''रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा''

सादर।

सम्पादकीय

''प्रोसेस इज द पनिशमेंट''

अरूण शौरी। ये नाम किसी से छुपा नहीं हैं। कभी इंडियन एक्सप्रैस के सम्पादक रहे और बाद में अटल बिहारी जी की सरकार में विनिवेश मंत्री रहे। उन पर एक अदालत ने एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला उदयपुर के किसी होटल के विनिवेश को लेकर है। मजे की नहीं वरन आहत करने की बात ये है कि दो बार सीबीआई अदालत और एक बार राजस्थान हाईकोर्ट कह चुका है कि उस केस में कुछ भी गलत नहीं था। इसी विषय पर दो दिन पहले अरूण शौरी एक चैनल पर जो कुछ बोले वह हमारी कथित न्याय प्रक्रिया को निर्वस्त्र कर देने को काफी है। उनके वक्तव्य का एक वाक्य दिमाग में अंकित हो गया- ''प्रोसेस इज द पनिशमेंट''।

हमारे देखते-देखते याद है कि जघन्यतम मुम्बई आतंकी हमले के अपराधी कसाब को चश्मदीद गवाह होने के बावजूद पांच साल तक फांसी नहीं दी जा सकी थी। निर्भया की माँ सात साल तक अदालतों की चौखट पर माथा टेकती रही। और यदि इस मामले में देश की जनता व मीडिया साथ नहीं देता तो शायद हत्यारे अभी तक जेल में मौज कर रहे होते। आरूषी हत्याकांड दो बार संसद को हिला देने के बावजूद आज तक अदालत में अनसुलझा है। और दिल्लीसे सटे नोएडा का निठारी कांड?

निठारी कांड तो हमारी न्याय व्यवस्था की उलझावट को प्रमाणित करने का स्पष्ट उदाहरण है। निठारी के एक ही घर में एक-एक करके डेढ दर्जन बालकों-बालिकाओं की हत्या हुई। अदालत ने मुख्य अपराधियों पंढेर और उसके नौकर को आठ हत्याओं का दोषी पाकर फांसी की सजा सुनाई। राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया। फिर शेष बचे आठ-दस मुकदमों के फैसले अटके होने के कारण उन्हें फांसी नहीं दी जा सक रही है। एक अनपढ भी जानता है कि एक व्यक्ति को एक बार ही फांसी दी जा सकती है। बावजूद इसके अब आठ-आठ हत्याओं के प्रमाणित अपराधियों की फांसी क्यों नहीं हो पा रही है? ये न्याय और नीति की किस परिभाषा के अनुसार सही है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है??

हाल ही सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णयों ने चौंका दिया। पहला निर्णय राजस्थान पत्रिका को दिये जाने वाले सरकारी विज्ञापनों को बंद किये जाने के खिलाफ था। उस ''ला ऑफ लैंड'' को अंगूठा दिखाते हुए केन्द्र सरकार ने ''द हिंदु'' और हिन्दुस्तान टाइम्स के विज्ञापन रोक दिये। तो क्या ये संभव है कि देश में प्रकाशित एक लाख अठ्ठारह हजार अखबार बार-बार अदालत का द्वार खटखटाऐं?

स्कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे एक केस को मात्र इसलिये सुनने से मना कर दिया गया कि देश के प्रत्येक राज्य की हालत अलग-अलग है। फिर ला ऑफ लैंड सिद्धांत का क्या मतलब रह जाता है। जिस देश में विक्रमादित्य से लेकर जहांगीर तक न्याय और नीति की एक सुदृढ परम्परा थी वहीं लिखित संविधान और अनगिनत धाराओं के होते हुए अरूण शौरी का यह वाक्य आहत मन से मानना पड़ता है कि -''प्रोसेस इज द पनिशमेंट''। इसका प्रत्यक्ष अनुभव समता आन्दोलन को बार-बार हुआ है। यह तथ्य मन को कचोटता है कि पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर समता आन्दोलन हाई कोर्ट की सिंगल बैंच, डबल बैंच और कन्टेम्पट में जीता और केस फिर से सुप्रीम कोर्ट पंहुचा दिया गया।

जय समता ।

- योगेश्वर झाड़सरिया

जातिगत आरक्षण और वर्ग संघर्ष

भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही इस देश के गणतंत्र को भारतीय जनता की इस स्वीकारोक्ति के साथ समर्पित किया था कि इस देश के नागरिकों के बीच जाति, धर्म, लिंग, भाषा, और क्षेत्र के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा तथा कानून के सामने सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे।

परन्तु कालान्तर में देश के गरीब एवं कमजोर वर्ग को संरक्षण देने के नाम पर संविधान मे कई संशोधन हुए एवं कई कानून भी बने। इनमें नौकरियों में आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण तथा लोकसभा एवं विधान सभा की सीटों का आरक्षण प्रमुख हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त भी जनता के लिये बनने वाले अधिकांशतः कानून, नियमों एवं योजनाओं में भी जाति आधारित आरक्षण बढ़ता जा रहा है।

आरक्षण का प्रथम चार दशकों में जिन लोगों ने लाभ प्राप्त किया है, वे उस वर्ग के कुलीन बन गए तथा उन्होंने अपने समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को लाभ पहुँचाने के बजाए, स्वंय के परिवारों का लाभ के लिए संविधान संशोधन करवाने एवं और कानून बनवाने के लिये अभियान चलवाया द्य संविधान लागू होने के प्रथम चार दशकों के बाद भी गरीब और कमजोर वर्ग के नाम से जितने कानून बने, उनका अधिकांश लाभ उन्हीं लोगों की दूसरी-तीसरी पीढ़ी ने उठाया, जिसका लाभ पहली पीढ़ी उठा चुकी थी। आरक्षण का लाभ लेकर ये परिवार अपग्रेड होकर ऊपर उठ गए। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्थानों में दाखिला कराकर एवं अच्छी कोंचिग कराकर नौकरियों में एवं अन्य सुविधाओं का अपनी दूसरी-तीसरी पीढ़ी को शत प्रतिशत लाभ दिलाया। जिससे इसी वर्ग के दूसरे लोग जो पिछडे क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत रहे, गरीबी एवं अभाव में पले, तथा जिनके पास अच्छे साधन नहीं थे, एवं प्रतिस्पर्धा में आगे नही आ पाए, वे वास्तविक लाभ से वंचित रह गये।

आरक्षित वर्ग के जो लोग नौकरी पा गए, उन्होनें अपनी दूसरी-तीसरी पीढ़ी को नौकरी से तो लाभ दिलाया ही, साथ में उनके स्वयं के लिए भी पदौन्नति में भी आरक्षण का संविधान संशोधन करा लिया। इस कारण वे और भी सक्षम हो गये। परन्तु इससे वरिष्ठता एवं योग्यता की अनदेखी हुई। आज पूरे देश मे सामान्य, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग की नौकरशाही में इस बात को लेकर भारी असंतोष है द्य विगत दो दशकों में इस देश की प्रशासनिक नींव-नौकरशाही में नैतिकता, सक्षमता एवं कार्यकुशलता में भारी कमी आई है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अब समय आ गया है कि वर्तमान आरक्षण संबंधी प्रावधानों का, उसके प्रभाव एवं दुष्प्रभावों का अध्ययन किया जाकर इस प्रकार की नीति बनाई जाए कि आरक्षण से सभी वर्गों के गरीब, पिछडे, कमजोर लोगों को फायदा मिले तथा योग्यता एवं वरिष्ठता को भी सम्मान मिले।

कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता तथा सभी के लिए एक समान कानून, किसी भी देश की एकता और अखण्डता के लिए बुनियादी तत्व हैं। भारतीय संविधान में वैसी व्यवस्था होने के बावजूद इस देश में केन्द्र एवं राज्यों ने विगत 70 वर्षों से कमजोर और पिछड़े लोगों को लाभ देने के नाम से जातिगत आरक्षण एवं जातिगत कानून बनाने का ही काम किया द्य जिससे इस देश में जाति व्यवस्था समाप्त होने के बजाए और अधिक मजबूत होने लगी द्य लोग समाज एवं जाति के नाम पर विभाजित होने लगे। इस देश में जो जातिवाद पहले चार दशक में समाप्ति की ओर था, वही जातिवाद 1990 के बाद पुनः जीवित होकर और फ्लने-फूलने लगा तथा अब अपनी चरम सीमा की ओर है।

जिस एक्ट्रोसिटी एक्ट की उपयोगिता 2016 तक लगभग समाप्त हो गई थी। 2016 में केन्द्र की सरकार ने उसमें संशोधन कर उसमें सामान्य अपराध जोड़कर उसे काला कानून बना दिया। जिससे इस देश में हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज होने लगे। पिछले 3 वर्षों मे इस एक्ट में लगभग 40,000 लोग छोटी-मोटी बातों के लिए जेल मे पहुंचे। जिनका इस एक्ट मे कोई अपराध प्रमाणित नहीं हुआ। संरक्षण गरीब एवं कमजोर व्यक्ति का होना चाहिए। किसी जाति विशेष का नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2018 के निर्णय को कि गिरफ्तारी के पूर्व जाँच की जाये को संसद ने अगस्त 2018 मे दर किनार कर जो पुनः संशोधन किया। उससे इस देश के उस समय के सांसदो की निष्पक्ष तथा जाति निरपेक्ष छवि को धक्का लगा है। यह केंद्र सरकार की ऐतिहासिक भूल है। इस पर पुनः विचार एवं पुनः सुधार नहीं किया गया तो कालांतर में इससे भारतीय सामाज में वर्ग संघर्ष हो सकता है। ऐसे काले कानून को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए।

जिस प्रकार धृतराष्ट्र की सभा मे द्रोपदी का चीर हरण हुआ था, उस समय जो महारथी चुप रहे, उनको भावी पीढ़ी ने कभी क्षमा नहीं किया और उनकी चुप्पी के कारण महाभारत हुआ। ऐसे ही संसद द्वारा पदोन्नति में आरक्षण देने एवं एट्रोसिटी एक्ट में संसोधन करने की भूल को इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा कहीं ऐसा न हो कि इस बार चुप रहने से इस देश मे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हो जाये। उम्मीद है निर्वाचित जन प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वार्थ एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सदभाव के लिए ऐसा कोई कार्य करेंगे, जो कि इस देश के सभी वर्ग के नागरिकों को समान रूप से स्वीकार हो और इस देश के नागरिक जाति में विभाजित न होकर गर्व से स्वयं को भारतीय कह सकें।

आभार-(सोशल मीडिया)
डॉ हेमन्त कुमार त्रिवेदी,
(सेवानिवृत आई.ए.एस)

चन्द्रमौलि समता

मध्यप्रदेश की तर्ज पर ''अजाक'' अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी संघ की राजस्थान के पाली जिले की शाखा ने मुख्यमंत्री के नाम दो ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपे। इनमें से दूसरे ज्ञापन में समता आन्दोलन की शिकायत की गई है। कहा गया है कि समता आन्दोलन समिति ''कर्तव्यनिष्ठ अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों की छवि सार्वजनिक रूप से खराब करने, जातिगत टिप्पणी करने के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की गई है''। साथ ही एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किये जाने की मांग भी की गई है।

तात्कालिक प्रभाव की दृष्टि से यह ज्ञापन समता आन्दोलन की प्रतिष्ठा को चार चाँद लगाता है। प्रदेश में कथित सवर्णों के अनगिनत संघ और संगठन है लेकिन वे न कथित सवर्णों के पक्ष में बोलते हैं न ही अपने समाज के हित में सक्रिय होते है। समता आन्दोलन अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत अनारक्षित ही नहीं बल्कि आरक्षितों सहित पूरे राष्ट्रीय समाज के हित में ''समता'' की बात केवल बिंदास बोलता है बल्कि आगे बठकर ताल भी ठोकता है।

बार-बार न्यायपालिका में आरक्षण की बात करने वाले नहीं जानते कि उनका ये प्रयास पूरे भारत देश को अपमानित करता है। लेकिन केवल अपने घृणित स्वार्थ को ही अंतिम सच मानकर चलने वाले कुत्सित जातिवादी मानसिकता के लोग देश को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं। यहाँ कही से कोई न कोई समता आन्दोलन निकलकर संवैधानिक सच की प्रतिष्ठा कर ही देता है। - समता डेस्क

पौराणिक कथन : 'उद्धव'

बृहस्पति के शिष्य। ज्ञानमार्गी श्रीकृष्ण सखा। गोकुल की गोपियों से इन्होंने जाना कि प्रेम ज्ञान से बड़ा है।

चलो मिटाकर अंधकार को,
अपनी मंजिल आज तलाशें।
पुनः उठाकर छैनी हथौड़ा,
आओ अपना भाग्य तराशें।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएं'

कविता

सूरज अब तुम आओ

सूर्य ! तुम थकते नहीं हो?
युगों से तुम्हारा रथ
रश्मियाँ बिछाता
दौड़ता ही रहा है अनवरत
बादलों, रात और आंधियों ने
फिर-फिर ओझल
करना चाहा है
पर तुम्हारा सारथि अरूण
अपने कर्म में निष्णात
हर बार, हर अंधकार
चीरकर युग को कराता है
सूर्य दर्शन अनवरत।
कलियुग में सब कुछ
बदला-बदला सा है
रक्त का रंग तक
गदला-गदला सा है
लेकिन हे रश्मिरथी
एक तुम्हारा होना
मन को देता है अभय
ये आश्वासन भी कि
कोई रात इतनी सघन
तामस और लम्बी
नहीं हो सकती
नहीं छीन सकती
तुम्हारे होने का अधिकार
तुम ही हो तारणहार
हरबार अपरंपार।
जब-जब दिन पर
कालिख का होता है हमला
कुछ ही पलों में
तुम्हारी मुस्कान से
धुल जाता है
दिशाओं का मैलापन
आओ-आओ हे दिनकर
देखो कि अमावस
अतिक्रमण कर रही है
सीमाओं का,
तुम आओ-
उसे बताओ,
थोड़ा धमकाओ
अपनी औकात में
रहने को।

– वाई. एन. शर्मा –

शिक्षा में आरक्षण : अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

गतांग से आगे:-

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय फिर भी ऐसा कहता है। सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसा कह रहा है, तथा हमें याद दिला रहा था कि ''किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए उसका आशय साक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर लिया जाना चाहिए। ये साक्ष्य और परिस्थितियाँ अनुमान पर आधारित नहीं होनी चाहिए.....।''

तथ्य और साक्ष्य नहीं हैं, लेकिन न्यायालय फिर भी उसे सिद्धांत का रूप देता है-

निर्बल वर्ग के सदस्यों को विशेषज्ञता, अति-विशेषज्ञता अथवा तकनीकी उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध कराना कार्यपालिका का संवैधानिक दायित्व है। इससे वंचित करने का अर्थ समानता के अधिकार से वंचित करना है।

यह मान्य वैधानिक तथ्य है कि दि अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य manu/sc/0088/1974;मैरी चंन्द्रशेखर राव बनाम डीन, सेठ जी.एस. मेडीकल कॉलेज, manu/sc/0457/1990 और अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, manu/sc/1176/1997 मामलों के निर्णयों द्वारा संविधान के भाग 3 और 4 के अंतर्गत जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उनका प्रयोग करने के लिए मौलिक अधिकारों को व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में उच्च न्यायाल का यह मानना है कि स्नातोत्तार स्तर की विशेषज्ञता और अति-विशेषज्ञता के मामले में आरक्षण का नियम अनुच्छेद 14 के विरूद्ध है, बिलकुल गलत और असंवैधानिक है। अत: हमारा मानना है कि स्नातकोत्तर स्तर की विशेषज्ञता और अति-विशेषज्ञता-वाले पाठ्यक्रमों में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14,15(1) और 15(4) के अनुसार वैध है।

अर्थात, आप उन नौ न्यायाधीशों पर विश्वास कर सकते हैं, जिन्होंने इंद्रा साहनी मामले पर निर्णय दिया था और यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया था कि विशेषज्ञता और अति-विशेषज्ञता के मामले में जाति के आधार पर आरक्षण देने से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचेगा; या फिर उन तीन न्यायाधीशों की बात पर विश्वास कर सकते हैं, जिन्होंने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं शोध संस्थान मामले पर निर्णय दिया था-और इस प्रकार अपनी मरजी से आरक्षण कर लें।

इस विषय पर मैं बाद में वापस आऊँगा कि विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों में आरक्षण देना समानता का पूरक है या नहीं। फिलहाल, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण न दिए जाने को समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताने वाले लोगों में- विशेषकर राजनीतिक वर्ग में- वे ही लोग हैं, जिनका कहना होता है कि चूँकि सरकारी तंत्र में वे उच्च पदाधिकारी हैं, अत: उन्हें अपने देश के और विदेशों के भी महँगे-से-महँगे अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए-और वह भी सरकारी खर्च पर, जो आम आदमी के लिए एक सपने से भी बड़ी बात होती है! जी हाँ, यही है समाजवाद!

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण न दिए जाने को समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताने वाले लोगों में- विशेषकर राजनीतिक वर्ग में- वे ही लोग हैं, जिनका कहना होता है कि चूँकि सरकारी तंत्र में वे उच्च पदाधिकारी हैं, अत: उन्हें अपने देश के और विदेशों के भी महँगे-से-महँगे अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए-और वह भी सरकारी खर्च पर, जो आम आदमी के लिए एक सपने से भी बड़ी बात होती है! जी हाँ, यही है समाजवाद!

समानता का सिद्धांत-लेकिन सबके लिए नहीं!

सच, यहाँ गांधीजी को उलटा लटका दिया गया है। गांधीजी का कहना था कि गरीबों की ओर से वही बोल सकता है, गरीबों का नेतृत्व वही कर सकता है, जिसने स्वयं गरीबी का अनुभव किया हो। वह दूसरों को ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहते थे, जो वह उनका सिद्धांत यह है कि चूँकि वे उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे है, जो शताब्दियों से दलित रहे हैं, इसलिए अन्हें महँगी चिकित्सा-सुविधा सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। उनके इस सिद्धांत पर प्रश्न उठाना उन दलितों, पीड़ितों, गरीबों का अपमान करना होगा, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे सदियों से चले आ रहे भेदभाव और अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा।

उत्कृष्टता का मार्ग

आरक्षण से संबंधित इस तरह के मामलों में, जैसा हमने देखा, सर्वोच्च न्यायालय इस तर्क को एक ही बार में खारिज कर देता है कि किसी पाठ्यक्रम अथवा सेना में 50 प्रतिशत सीटें या पद आरक्षित कर देने से गुणवत्ता स्तर प्रभावित होगा; क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि समय के साथ-साथ ये आरक्षण-प्राप्त अभ्यर्थी अपनी आरंभिक कमियों को दूर कर लेंगे। सक्रियतावादी न्यायाधीशों के प्रभाव से न्यायालय का तर्क कुछ इस प्रकार बन जाता है-

* संविधान की प्रस्तावना उसके मूल ढाँचे का एक हिस्सा है।
* प्रस्तावना में समानता की बात की गई हें
* इसका व्यावहारिक अर्थ है-सामाजिक-आर्थिक न्याय, अवसर की समानता, स्थिति अथवा स्तर की समानता, राजनीतिक शक्ति की समानता।
* सामाजिक-आर्थिक न्याय में गरीबों का आर्थिक सशक्तीकरण भी शामिल है।
* यह आर्थिक सशक्तीकरण एक मौलिक अधिकार है।
* सरकार के अधीन सेवाओं एवं पदों के लिए आरक्षण गरीबों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने, उनका आर्थिक सशक्तीकरण करने, उन्हें अवसर और राजनीतिक शक्ति समानता उपलब्ध कराने का एक उपाय है।
* आरक्षण को निम्न स्तरीय पदों तक ही सीमित कर देने से यह उपाय कारगर नहीं रह जाएगा; क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा उच्च स्तरीय पदों में ही निहित है।
* दलितों के लिए उच्च स्तरीय पदों का आरक्षण दलितों और जनजातीय कर्मचारियों को उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए अपनी कुशलता एवं योग्यता में सुधार लाने में सक्षम बनाने का एक माध्यम है।

यहाँ विचारों और सिद्धांतों को जिस प्रकार एक साथ मिला दिया गया है, उससे जान-बूझकर घालमेल की स्थिती पैदा करने की कोशिश की गई है। ऐसे ही एक अनुच्छेद में लिखा है-''जब दलित और जनजातीय समूह के कर्मचारियों को उच्च स्तरीय नियुक्तियों और पदोन्नति का अवसर उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अन्य कर्मचारियों के साथ अपनी प्रशासनिक कुशलता में सुधार कर सकें, तभी दलित और जनजातीय वर्ग के कर्मचारियों के लिए स्थिति एवं स्तर अथवा प्रतिष्ठा की समानता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस प्रकार, उन्हें अपनी कुशलता या क्षमता में सुधार करने तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पद सँभालने का अवसर भी मिलेगा।''

जरा देखें, किस प्रकार 'नियुक्ति', 'पदोन्नति', 'अवसर' और परिणामी 'स्तर एवं प्रतिष्ठा' तथा 'प्रशासनिक कुशलता' को एक-दूसरे पर गिरा दिया गया है। लेकिन इन समर्पित और निष्ठावान् न्यायाधीश महोदय से कौन प्रश्न करने का साहस दिखा सकता है?

जहाँ तक प्रशासन की गुणवत्ता और अनुच्छेद 335 के अंतर्गत रखी गई शर्तों तथा उत्कृष्टता गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कर्तव्यों की बात है, ये प्रगतिवादी न्यायाधीश उत्कृष्टता और कुशलता को अलग ढ़ग से परिभाषित करके पूरी स्थिति को ही पलट देते हैं-वी.पी. सिंह की तरह। उनका तर्क होता है कि प्रशासन की कुशलता को निस्संदेह ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन-

* प्रशासनिक ढाँचा मजबूत और सक्षम या कुशल तभी बनेगा, जब दलितों की इच्छाओं ओर आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए।
* ऐसा तभी हो सकता है, जब दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।
* चूँकि सत्ता अथवा अधिकार उच्च स्तरीय पदों में ही निहित हैं, अत: दलितों के सशक्तीकरण के लिए उन्हें इन उच्च स्तरीय पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना होगा।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

एससी-एसटी अधिनियम में गिरफ्तारी अनिवार्य बताने वाले परिपत्र को क्यों न रद्द कर दिया जाए

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, एसीएस गृह, डीजीपी, एडीजी सिविल राइट्स रविप्रकाश मेहरडा को नोटिस जारी कर पूछा है कि एससी एसटी क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी अनिवार्य बताने वाले गत 29 मई के परिपत्र को क्यों न रद्द कर दिया जाए। जनहित याचिका में एडीजी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी गुहार की गई है।

न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश समता आन्दोलन समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए।

समता आन्दोलन द्वारा दायर जनहित याचिका में अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने कहा कि एडीजी सिविल राइट्स रविप्रकाश मेहरडा ने 29 मई को एक परिपत्र जारी किया। जिसमें बताया गया कि एससी-एसटी एक्ट में अग्रिम

*** हाईकोर्ट ने समता आन्दोलन समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया।**

*** याचिका में कहा कि मेहरड़ा द्वारा नियमों और उच्चाधिकारियों के आदेशों के विपरीत जाकर जारी किये परिपत्र को रद्द करते हुए एडीजी मेहरडा को दण्डित किया जाना चाहिए।**

जमानत का प्रावधान नहीं है। इसलिए इसके तहत दर्ज एफ.आई.आर में सीआरपीसी की धारा 41(ए) के तहत गिरफ्तारी से पहले नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। परिपत्र में बताया कि यदि सीआरपीसी की धारा 41(1)(बी) की पालना करने की स्थिति में एससी-एसटी एक्ट की धारा 15(ए)(3) की पालना नहीं हो सकती। एडीजी सिविल राइट्स ने 26 जून को सभी पुलिस अधिकारियों को पत्र जारी कर 29 मई के परिपत्र को लागू करने के संबंध में जानकारी भी मांगी।

अधिवक्ता तिवाड़ी ने कहा कि डीजीपी ने 31 जुलाई 2015 को परिपत्र जारी कर सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी से पहले आरोपी को धारा 41(ए) का नोटिस देने के आदेश दे रख है।

इसके अलावा वर्ष 2017 में गृह विभाग ने भी सीआरपीसी के प्रावधानों को एक्ट पर विरोधाभासी नहीं माना। वहीं अगस्त 2018 में सरकार ने एक्ट में संशोधन कर धारा 18ए जोड़ते समय भी स्पष्ट किया है कि इस एक्ट पर सीआरपीसी के प्रावधान लागू होते है। याचिका में कहा कि मेहरड़ा ने नियमों और उच्चाधिकारियों के आदेशों के विपरीत जाकर यह परिपत्र जारी किया है। इसलिए इस परिपत्र को रद्द करते हुए एडीजी मेहरडा को दण्डित किया जाना चाहिए।

जनसंख्या आधार पर भील-मीणा आरक्षण को बांटा जाए- राजस्थान भील समाज आरक्षण संघर्ष समिति

राजस्थान भील समाज आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नारूलाल खराड़ी के नेतृत्व में जिला, उपखंड व तहसील स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौपा। जिसमें राजस्थान के जनजाति आरक्षण की समीक्षा करने, 12 प्रतिशत आरक्षण में से भील जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का बंटवारा किया जाए। आजादी के बाद 70 साल से आरक्षण के लाभ से वंचित इन वर्गो को भी इसका फायदा मिल सके। भील वर्ग को अलग से योजना बनाकर छितरी आबादी क्षेत्रों में शिक्षा एवं रोजगार में विशेष सुविधा देने की मांग की।

बनेड़ा। राजस्थान भील समाज आरक्षण संघर्ष समिति उप शाखा ने ज्ञापन सौपते हुये बताया कि सरकार द्वारा दिये जा रहे आरक्षण पिछले 70 साल से समाज की पहुंच से बाहर है। भील समाज गरीबी के

ज्ञापन के अंश

*** सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण पिछले 70 वर्षों से भीलों की पहुंच के बाहर।**

***गरीबी के कारण सम्पन्न जनजाति मीणा समाज का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं।**

***जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण का बंटवारा भील व मीणा समाज की जनसंख्या के अनुपात में करना**

चलते महंगी शिक्षा, ट्यूशन, कोचिंग, इंग्लिश मीडियम पढाई नहीं कर पाते हैं। जिस कारण भील समाज के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते है। इसलिए भील एवं मीणा समाज की जनसंख्या में 12 प्रतिशत आरक्षण का बंटवारा करके भील समाज को सरकारी नौकरियों का लाभ मिल सके।

गंगापुर-भीलवाडा- राजस्थान भील समाज आरक्षण संघर्ष समिति शाखा सहाड़ा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौपा गया। गेहरूलाल भील ने बताया कि राजस्थान की आदिम जाति भील जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आती है। सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण पिछले 70 वर्षों से हमारी पहुंच से बाहर है, जिससे हम गरीबी के कारण सम्पन्न जनजाति मीणा समाज का मुकाबला नहीं कर पा रहे है। राजस्थान की आरक्षण व्यवस्था में भील वर्ग व मीणा की जनसंख्या के अनुपात में 12 प्रतिशत आरक्षण का बंटवारा करना, जिसमें भील वर्ग को सरकारी नौकरियों में लाभ मिल सके। टीएसपी क्षेत्र के अतिरिक्त सम्पूर्ण राजस्थान की छितरी आबादी के आदिवासी भील समाज के लिए शिक्षा, कृषि, रोजगार के लिए अलग से योजना बनाकर लागू की जाए। इसी तरह के ज्ञापन फुलियाकलां, कोटडी, बदनौर, मांडल आदि अनेक क्षेत्रों से मुख्यमंत्री के नाम सौपे गये।

समता आन्दोलन का केन्द्र व राज्य सरकार को "महारानी लक्ष्मीबाई कामकाजी महिला सशक्तिकरण योजना" का प्रस्ताव

महिला सशक्तिरण करने के लिए आधी दरों में एक करोंड़ से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएं: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने महिला समानता दिवस दिनांक 26 अगस्त, 2020 के उपलब्ध्क्ष में "महारानी लक्ष्मीबाई कामकाजी महिला सशक्तिकरण योजना" का प्रस्ताव केन्द्र एवं राज्य सरकार को भेजा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्य सचिव, महिला आयोग राजस्थान को लिखे पत्र में कहा गया है कि महिला समानता दिवस के अवसर पर समता आन्दोलन के द्वारा आपसे कामकाजी महिलाओं की दुर्दशा सुधारने और उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने में मदद करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। आप यह भलीभाँति जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में आज भी पुरूष-प्रधान समाज है। इसी कारण कामकाजी महिलाओं से उनके कार्यालयिक कार्य के अलावा प्रत्यके घर में घरेलू कार्य की भी अपेक्षा की जाती हैं। परिणामत: लगभग सभी कामकाजी महिलाएं अतिरिक्त दबाव, तनाव और थकान भरा जीवन जीने को मजबूर होती हैं। लगातार दबाव, तनाव, थकान की जिन्दगी में माँ, पत्नी, बहू, बेटी और बहन की जिम्मेदारी निभाते हुए कामकाजी महिलाएं आमतौर पर रक्तचाप, सुगर, हार्ट ,कमरदर्द,घुटनादर्द, डिप्रेशन आदि अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं।इन सभी का दुष्प्रभाव सामान्यतया घरेलू झगड़ों,वाद-विवाद,परिवारों के टूटने,तलाकों की संख्या बढ़ने,कार्यालयिक कार्य कुशलता घटने, बच्चों के संस्कारहीन होने,सास-सुसर का वृद्धाश्रम गमन आदि अनेक सामाजिक, आर्थिक या परिवारिक बुराइयों के बढ़ने में प्रकटत: देखा जा रहा हैं। दुर्भाग्य से पुरूष-प्रधान समाज और प्राचीन भारतीय संस्कृति की पुरानी परम्परा के चलते कामकाजी महिलाओं की इस दुर्दशा को सहजता से लिया जाता हैं। किसी भी सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं की उपरोक्त समस्याओं पर कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं करवाया गया हैं।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए समता आन्दोलन के द्वारा देश की आधी आबादी को देश-निर्माण में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली कामकाजी महिलाओं के जीवन स्तर, कार्य-कुशलता, स्वास्थ्य, सामाजिक स्तर और समानता के अधिकार में सारभूत सुधार के लिए आपसे प्रार्थना की जाती है कि एक कानून बनाकर कामकाजी महिलाओं के घरों में घरेलू कार्य के लिए एक घरेलू नौकर रखा जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्न प्रावधान किये जा सकते हैं:-

1. घरेलू नौकर कामकाजी महिलाओं के घर में रखा जाना कानूनन अनिवार्य होना चाहिए।नहीं रखने वालों पर दण्ड का विधान हो।
2. घरेलू नौकर का वेतन अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी के बराबर हो जो इस समय लगभग दस हजार पांच सौ रूपये है।
3. उपरोक्त मजदूरी/वेतन का भुगतान पचास प्रतिशत सरकार के द्वारा, पच्चीस प्रतिशत कामकाजी महिला के वेतन से कटौती करके तथा पच्चीस प्रतिशत कामकाजी महिला के पति के वेतन/व्यवसायिक आय से कटौती करके भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जहां पति कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं करता हो वहां साठ प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाये और चालीस प्रतिशत हिस्सा काम काजी महिला के वेतन से कटौती करके दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. घरेलू नौकर के काम का समय सामान्यतया सुबह सात बजे से ग्याहर बजे तक और शाम को चार बजे से आठ बजे तक तय किया जावे। रविवार को अवकाश।
5. इन घरेलू नौकरों का रिकार्ड सरकारी स्तर पर सत्यापित करके संधारित किया जाना सुनिश्चित हो।
6. उपरोक्त घरेलू नौकरों की नियुक्ति निजी ठेकेदारों की मार्फत अनुबन्ध पर भी की जा सकती है। अन्य सेवाशर्तें सरकार अपने स्तर पर नियमानुसार निर्धारित कर सकती हैं।

श्रीमान यदि उपरोक्त योजना पर कार्य किया जाता है तो पूरे देश में राज्यसरकार, केन्द्र सरकार एवं निजी क्षेत्र की अनुमानित एक करोड़ कामकाजी महिलाओं की संख्या मानते हुए देश में आधे खर्चे पर एक करोड़ से अधिक अकुशल कामकारों के लिए रोजगार का निर्माण तत्काल किया जा सकता है। कामकाजी महिलाओं के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाकर समानता का अधिकार दिलवाने की दिशा में सशक्त प्रयास हो सकता है। टूटते परिवार बच सकते है, तलाकों की संख्या कम हो सकती है, पूरे परिवार को खुशहाली मिल सकती है। देश में आधी कीमत पर एक करोड़ से अधिक स्थायी रोजगारों का निर्माण करके आर्थिक समृद्धि को बढाया जा सकता है, कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विस्वास है कि आप राष्ट्रनिर्माण एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ महिलाओं को सशक्त करने की उपरोक्त योजना के अनुसार कार्यवाही करके कामकाजी महिलाओं को "महारानीलक्ष्मीबाई महिला सशक्तिकरण योजना" का अनुपम उपहार देंगे।धनराशि का प्रबन्ध भी मनरेगा योजना की राशि से किया जा सकता है, क्योंकि मनरेगा से नागरिक आरामखोर हो रहे हैं, ठेकेदार/अधिकारी या पंच/सरपंच भ्रष्ट हो रहे हैं। त्वरित सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में अग्रिम धन्यवाद देते हुये पत्र की प्रति सभी सम्मानीय सांसदों एवं सभी सम्मानीय विधायकों को भी भेज कर राष्ट्रनिर्माण एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ महिलाओं को सशक्त करने की उपरोक्त योजना के अनुसार कार्यवाही करवाने का आग्रह किया गया।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in